राजस्थान सरकार

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (कलक्टर) सीकर

क्रमांकः–एफ.16 (/4) भू.रू./ग्रामीण/राजस्व/14 दिनांक :

संपरिवर्तन आदेश

पर्यावरण व शिक्षण विकास संस्थान, जयपुर के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 एवं राजस्व विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक 6(6) राज–6/92 पार्ट/8 दिनांक 26.4.2011 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन /नियमितिकरण किया जाता है । जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैः–

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	:	पर्यावरण व शिक्षण विकास संस्थान जयपुर
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	:	हां,
3.	(क) संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा		
	(ख) ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	:	ग्राम पीथमपुरी ग्राम पंचायत पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना
	(ग) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टैयर में)	:	खसरा नम्बर 29/3 रकबा 1.27 है0
	प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)		खसरा नम्बर 29/3 रकबा 1.27 है0 में से 1.00 है0 अर्थात 10000 वर्ग मीटर
	टिप्पणीः–(अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	:	–
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	:	सांस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ
5.	संदेय प्रीमियम की दर	:	9.017/– रू0 प्रति व0मी0
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	:	चालान नं. 110 दिनांक 18.06.2014 राशि रूपये 50000/– एवं जीआरएन 3629747 दिनांक 11.10.2014 राशि रूपये 160680/– में से (40170/–रू0) रूपान्तरण शुल्क के शामिल है।
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	:	चालान नम्बर 191 दिनांक 29.09.2014 राशि रूपये 150000/– एवं जीआरएन 3629747 दिनांक 11.10.2014 राशि रूपये 160680/– में से (120510/–रू0) शास्ति के शामिल है।
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो,की जमा कराई गई राशि	:	शून्य
9.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधिन जारी किया गया है?	:	हां 1290 वर्ग मीटर
10.	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	:	इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डो के अनुसार भूमि छोडते हुए।

President
Paryavaran & Sikshan Vikas Sansthan
9, Dadu Marg, Tonk Phatak, Jaipur-15

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा :–

1. इंडियन रोड़ कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सडक के मध्य से भूमि छोड़कर संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी । तथा आवेदक द्वारा आवेदित भूमि तक निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप पहुंच मार्ग सुनिश्चित किया जाएगा।
2. निकटस्थ नगर पालिका/स्थानीय निकाय की उप विधियों एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निर्माण कराया जा सकेगा।
3. राजस्व विभाग के परिपत्र कमांकः प.6(6).राज–6/92 पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
4. भूखण्ड में 40 प्रतिशत भाग अन्य आवश्यक सुविधाओं हेतु खुला रखना होगा।
5. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहूत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समहृत हो जायेगा।
6. उक्त प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
7. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
8. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0 द्वारा घोषित हरित राजस्थान अभियान के तहत संस्थान कैम्पस में पेड़ लगाने होंगे।
9. निर्मित भवन में बरसाती पानी संग्रहण ढ़ाचा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप बनाया जाएगा।
10. संपरिवर्तित स्थल पर आवागमन हेतु रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि का समर्पण प्रलेख राज्य सरकार के पक्ष में निष्पादित किये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में संपरिवर्तन बाबत अमल दरामद किया जावें।

(एस.एस.सोहता)
प्राधिकृत अधिकारी
(जिला कलक्टर,सीकर)

कमांकः–एफ.16(14)भू.रू/ग्रामीण/राजस्व/14/5340–48 दिनांकः– 14/X/14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप शासन सचिव,राजस्व (भूमि रूपान्तरण)विभाग,राज0 जयपुर
2. संभागीय आयुक्त,जयपुर संभाग,जयपुर
3. प्रभारी अधिकारी,जिला राजस्व लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट,सीकर
4. उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना
5. तहसीलदार, नीमकाथाना
6. सरपंच,ग्राम पंचायत, पीथमपुरी पंचायत समिति नीमकाथाना
7. पर्यावरण व शिक्षण विकास संस्थान जयपुर जरिये उपाध्यक्ष निरंजन लाल पुत्र बिहारी लाल जाति चमार निवासी माजरी खुर्द तहसील बहरोड़ जिला अलवर (राज0) व नरेन्द्र कुमार चन्देल पुत्र कल्याण मल निवासी मकान नं0 136/4 सिविल लाइन्स जिला टोंक (राज0)
8. रक्षित पत्रावली

प्राधिकृत अधिकारी
(जिला कलक्टर,सीकर)

President
Paryavaran & Sikshan Vikas Sansthan
9, Dadu Marg, Tonk Phatak, Jaipur-15